MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI K.G. KENYE (Nagaland): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

Need to make strict laws against cheque bouncing

श्री श्वेत मलिक (पंजाब) सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे भ्रष्टाचार जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं एक ओर जहां सरकार को बधाई देता हूं कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के मुँह पर एक करारी चोट की है, वहीं पर एक और महत्वपूर्ण विषय, जो cheque bouncing का है, उसके बारे में भी बताना चाहता हूं।

सभापति जी, cheque bouncing के जो अपराधी लोग हैं, वे लोग, जो निर्दोष नागरिक हैं, जिनका इसमें कोई कसूर नहीं है, उनके जीवन की सारी जमा पूंजी डकार जाते हैं। कमजोर कानून होने के कारण, उन पर लंबे समय तक कोई एक्शन भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, जो पीड़ित है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता कि वह उनसे compromise करे और उनके सामने आधी राशि या 25 प्रतिशत राशि पर ही सरेंडर कर दे।

सर, इसमें कुछ वर्ग हैं। इसमें एक तो बुजुर्ग लोग हैं, जो सारी उम्र मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो जमा पूंजी है, उसको वे ब्याज के लालच में आकर ऐसे अपराधियों के हाथों में फंसा देते हैं, दूसरे वर्ग में वे व्यवसायी हैं, जो अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। वे ऐसे लोगों, जो cheque bouncing करने वाले अपराधी हैं, उनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं, अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं और बैंकों के एनपीए हो जाते हैं। इसमें जो तीसरा मेन वर्ग है, उसमें कुछ लोग ब्याज के अधिकतम लालच में आकर इनके सामने अपनी सारी पूंजी सरेंडर कर देते हैं। सर, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है, आज भी अदालतों में 20 लाख cases लंबित पड़े हैं,

उन्हें न्याय नहीं मिलता है, अतः इसमें आत्महत्याएं तक हो जाती हैं। जिसकी सारी पूंजी चली। जाती है, जब उसको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब ultimately कई लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे जघन्य अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर यदि किसी लिटिगेशन में केस जाए, तो उन्हें उस cheque की पूरी राशि अदालत में जमा करानी पड़े, ताकि ऐसे अपराधियों को यह पता हो कि अगर cheque bouncing का केस चल पड़ा, तो राशि उनके हाथ से निकल जाएगी। वह राशि चाहे तो अदालत में भी जमा हो सकती है। अगर वह व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाए, तो वह राशि प्रार्थी को मिल जाए, अगर अपराधी न हो तो राशि उसे वापस मिल जाए। जब आप ऐसी व्यवस्था करेंगे, तभी ये लोग काबू में आएंगे। सभापति जी, इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि जो ऑनरेबल फायनेंस मिनिस्टर हैं, आप उनसे मेरे माध्यम से निवेदन कर दीजिए कि इसके ऊपर एक सख्त कानून लाएं, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसके बाद कोई भी निर्दोष लोगों का शोषण करने की यह हिम्मत न कर पाए।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, I associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission made by the hon. Member.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Please take note of it. Shri Tiruchi Siva; not present. Now, we would take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Demand for early completion of the Sidhi-Singrauli Section of Rewa-Sidhi-Singrauli project in Madhya Pradesh

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा DBFOT योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के रीवा-सीधी-सिंगरौली (एनएच 75 एक्स.) के सीधी-सिंगरौली खण्ड के निर्माण कार्य के लिए 126 कि.मी. लंबाई के मार्ग की स्वीकृति अक्टूबर, 2012 में प्रदान की गई थी। इस कार्य की लागत 673 करोड़ रुपए थी। इसके लिए गेमन इंडिया लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया गया था तथा 36 माह में इस कार्य को पूर्ण किया जाना था। गेमन इंडिया लिमिटेड ने इस कार्य को पूर्ण करने हेतु टेक्नो यूनिक को कार्य सौंप दिया था, किन्तु दोनों कम्पनियों के